# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

रामूराम बनाम जसविन्द्र सिंह

उपस्थित :- श्री लाजपतराय वकील वादी
श्री साहिब बाघला एवं केवल बाघला वकील प्रतिवादी संख्या 1
पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी.)

प्रकरण संख्या - 27/2019 निर्णय दिनांक - 06.08.19

प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यह कि वादी रामूराम द्वारा उक्त अनवानी प्रकरण का वाद पत्र तथाकथित इकरारनामा दिनांक 20/01/2019 के आधार पर पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि वाके चक 13 ए.पी.डी.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मुरब्बा नं. 6 पत्थर नं. 253/401 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 2.530 हैक्टर खातेदारी कमाण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। इकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का प्रकरण सिविल न्यायालय/अपर जिला न्यायाधीश को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को इस सम्बन्ध में अनुतोष प्रदत्त करने की शक्ति नहीं है। राजस्व न्यायालय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए उक्त अनवानी प्रकरण में राजस्व न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए वादी का वाद माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर निरस्ती योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब वादी वकील द्वारा पेश कर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादी का उक्त वाद पत्र राजस्व न्यायालय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91, 92(ए) व 183 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है। जिसको सुनने की व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। न्यायालय के द्वारा उक्त आर.टी. एक्ट धारा 91, 92(ए) व 183 आर.टी.एक्ट के तहत सुनवाई कर व पक्षकारों के ब्यान कलमबद्ध कर फैसला करने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। तथा माननीय न्यायालय उक्त प्रकरण में सुनवाई कर व गवाहों के ब्यान कलमबद्ध कर फैसला कर

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

सकता है। अप्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। जो कि अस्वीकार करने योग्य है। वादी के द्वारा कृषि भूमि चक 13 ए.पी.डी.(बी) का मु.नं. 6 प.नं. 253/401 के किला नं. 4 ता 7, 14 से 17, 24, 25 कुल 2.530 है. खातेदारी रकबा को रहन बैय न करने व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जिसमें पूर्ण सुनवाई कर उक्त प्रकरण निस्तारण योग्य है। अप्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय का समय व सुनवाई में देरी करने के मकसद से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रकरण में अगर बिना सुनवाई के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है' तो वादी को सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा तथा प्रकरण के गवाहों के ब्यान लेखबद्ध नहीं किये जाने से प्रकरण की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगेगा' और प्रार्थी को बिना सुने सुनवाई करने पर वादी/प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका मुल्यांकन करना सम्भव नहीं है तथा वाद विवाद बढेगा तथा झगड़ा होने की सम्भावना बनी रहेगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वकील वादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा धारा 91, 92(ए), 183 आर.टी.एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. खारिज करने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो व कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय द्वारा देय नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों से पूर्णतया लागू होते है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाता है। वादी सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.08.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर